BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 29 नवम्बर, 2024 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना गुलावठी**

हत्या की घटना में वांछित बाइक सवार बदमाश से स्वाट टीम व थाना गुलावठी पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व एक बाइक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28/29.11.2024 की रात्रि को एक अभिसूचना पर स्वाट टीम व थाना गुलावठी पुलिस टीम सन्नौटा नहर के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी, इसी दौरान एक बाइक पर सवार 01 संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जिसको रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को मोड़कर तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर बदमाश को घेर लिया गया। जिस पर बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान मोन्टी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कुरली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बदमाश द्वारा दिनांक 22/23.11.2024 की रात्रि में ग्राम कुरली गौशाला के पीछे एक महिला की हत्या करने की घटना को अंजाम दिया था जिसके सम्बंध में दिनांक 24.11.2024 को थाना गुलावठी पर मुअसं-436/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसमें उक्त बदमाश की लगातार तलाश की जा रही थी।

घटना का विवरण- *अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह उत्ताखण्ड कोर्ट में तारीख पर गया था वहां से वापस आते समय मृतक महिला से ट्रेन में उसकी मुलाकात हुई थी जिसे वह नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने साथ ले आया तथा दिनांक 22/23-11-2024 की रात्रि में महिला को गौशाला के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गयी थी।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. मोन्टी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कुरली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा, 01 खोखा कारतूस।
2- 01 स्प्लेंडर बाइक(रंग काला) - बिना नम्बर।
3- आलाकत्ल बांस का डंडा,
4- मृतक महिला का बैग व आईडी कार्ड

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्त मोन्टी का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-297/20 धारा 302/201/420 भादवि थाना सिटकुल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
1- मुअसं-175/24 धारा 380/475 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं- 436/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं- 443/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली थाना गुलावठी पुलिस टीम-

1- श्रीमती सुनिता मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी।

2- उ0नि0 संजीव कुमार, उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, है0का0 शमसाद, है0का0 नरेन्द्र, है0का0 यशवीर ढाका।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम-

1- उ0नि0 श्री राहुल चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम

2- है0का0 राहुल त्यागी, है0का0 कपिल नैन, है0का0 मनीष त्यागी, है0का0 निकुंज यादव, है0का0 प्रदीप कुमार, है0का0 मौ0 आरिफ, का0 सचिन चौहान, का0 रोहित कुमार, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 अमित कुमार।

मीडिया सेल बुलंदशहर